

# जयशंकर-अराघची की चौथी बातचीत

भारत और ईरान के बीच संपर्क लगातार जारी

नई दिल्ली, 13 मार्च. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संपर्क लगातार जारी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुरुवार रात अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची से चौथी बार बातचीत की फोन पर बातचीत की।

संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह चौथी बातचीत है। यह वातां ऐसे समय हुई जब रणनीतिक रूप से बेहद अहम हार्मूज जलडमरूमध्य में फंसे 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित



करने के प्रयास तेज किए गए हैं। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में रहकर इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।



## ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त

चालक दल के चार सदस्यों की मौत, दो लापता

वाशिंगटन, 13 मार्च. अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि इराक में उनके एक रीपब्लिकन एयरक्राफ्ट (ईंधन भरने वाला विमान) केसी-135 के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक दल के चार सदस्यों की मृत्यु हो

गई है। इस विमान में चालक दल के कुल छह सदस्य सवार थे। इनमें से चार की मौत हो गई है, जबकि शेष दो सदस्यों की स्थिति के बारे में अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। यह हादसा पश्चिमी इराक के एक दुर्गम इलाके में हुआ। यह विमान क्षेत्र में जारी सैन्य अभियानों के तहत अन्य विमानों में हथौते में ईंधन भरने के मिशन पर तैनात था।

## एक नजर में

### एरबिल इलाके में झोन हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत

पेरिस 13 मार्च. इराक के एरबिल इलाके में झोन हमले के दौरान एक फ्रांसीसी सैनिक मारा गया है और कई अन्य घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि इराक के एरबिल इलाके में एक झोन हमले के दौरान एक फ्रांसीसी सैनिक मारा गया है और कई अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने मारे गये सैनिक का नाम चौफ वारंट ऑफिसर अर्नाइड फियोन का नाम बताया। वह अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से मारे जाने वाले पहले फ्रांसीसी सैनिक हैं। श्री मैक्रों ने साशल मीडिया पर लिखा कि उनके परिवार और उनके साथी सैनिकों के प्रति मैं पूरे देश की ओर से अपना स्नेह और एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे कई सैनिक घायल हुए हैं।

### अमेरिका ने वित्तपोषित करने वाली संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन, 13 मार्च. अमेरिका ने चार धर्मार्थ संस्थाओं पर हमला उग्रवादी समूह को गुप्त रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि इन संगठनों ने मानवीय कार्यों की आड़ में धन जुटाया, लेकिन अंततः हमला की सैन्य शाखा इजरायल-दीन अल-कसम ब्रिगेड का समर्थन किया, जो इजरायल के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार है। बयान में कहा गया, ये कार्रवाई हमला द्वारा अपनी सैन्य शाखा के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए नागरिक संगठनों के शर्मनाक उपयोग को उजागर करती हैं।

### पाकिस्तान ने काबुल के कई शहरों में की एयरस्ट्राइक

काबुल/इस्लामाबाद, 13 मार्च. ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों पर एयरस्ट्राइक किए हैं, जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक घातक झोन हमले किए हैं। पाकिस्तानी हमले में 6 अफगानी मारे जाने की जानकारी सामने आई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, पाकिस्तान ने प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के पर्यटन डिपो पर हमला किया था,

**NAME CHANGE**  
I, Hasan S/O, Husain Bhai Umrli Wala R/o 56, Molana Azad Marg, Alirajpur, Madhya Pradesh, 457887 have changed my name to Hasan Umrli Wala for all purposes

### तेहरान के फर्झसी स्व्वायर में बड़ा विस्फोट

ईरान. ईरान की राजधानी तेहरान के फर्झसी स्व्वायर में शुक्रवार को उस समय बड़ा विस्फोट हुआ जब हजारों लोग कुदूस डे मार्च में शामिल होने के लिए जुटे थे। धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और आसमान में घना धुआं उठता दिखाई दिया। रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोट से पहले इजरायल ने इस इलाके में संभावित हमले की चेतावनी दी थी। इजरायल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में उसने ईरान में 200 से अधिक टिकानों को निशाना बनाया है। घटना के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इजरायल और अमेरिका पर शक इस विस्फोट का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि किरणपुर से टीक पहले इजरायल ने इस क्षेत्र में संभावित हमले की चेतावनी जारी की थी।

### निर्दोषों को मारने वाले ईरानियों को मारना बड़ा सम्मान : ट्रंप

वाशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए उन ईरानियों को मारना एक बड़ा सम्मान है, जो 47 वर्षों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, वे 47 वर्षों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। और अब मैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूँ, ऐसा करना कितने बड़े सम्मान की बात है! उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य तरीकों से पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, उनकी वायु सेना अब नहीं रही, मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ तबाह किया जा रहा है और उनके नेताओं को भी मिट्टा दिया गया है।

### मोजतबा जीवित हैं, पर शायद घायल हैं: ट्रम्प

वाशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान के नवनिर्वाचित सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई जीवित तो हैं, लेकिन अमेरिका-इजरायल गठबंधन के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में वे संभवतः घायल हो गए थे। साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वे किसी न किसी रूप में जीवित जरूर हैं, लेकिन उनकी स्थिति जखमी होने की हो सकती है। श्री खामेनेई को पिछले रविवार को उनके पिता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद नया सर्वोच्च नेता चुना गया था।

## फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट वापस

श्रीनगर. श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ पहले जारी किये गये गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। अदालत ने कार्यवाही में उनकी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद यह निर्णय लिया। खान ने अदालत को बताया कि पूर्व

मुख्यमंत्री एक दिन पहले जम्मू में उन पर हुए कातिलाना हमले से सदमे के कारण सुनवाई घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ पहले जारी किये गये गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। अदालत ने कार्यवाही में उनकी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद यह निर्णय लिया। खान ने अदालत को बताया कि पूर्व

कच्चा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)						
क्र.सं.	ऑनलाइन टेंडर नं.	कार्य का नाम	टेंके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	2026 PWDR B_489139_1	पुराने एच-3 (ए.बी. रोड) पर राजीव गांधी चौक से राउ रोटर (कि.मी. 78) मीडियम का निर्माण, कुल लंबाई 2.00 कि.मी. लो.नि.वि. जिला उम संभाग क्र. 1, इंदौर के अंतर्गत।	19.95	39900.00	2000.00	240 दिवस वर्षाकाल सहित
			कुल योग	19.95		

कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)						
क्रमांक/47/स्टोर विभाग/2026		रतलाम, दिनांक 12/03/2026				
<b>सार्वजनिक सूचना</b> (द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण)						
नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर देखी जा सकती है:						
क्र.	ऑनलाइन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	अंतिम दिनांक
1	2026 UAD 490051	रतलाम शहर अन्तर्गत समस्त बाड़ों के लिये कितनाशक दवाइयाँ एवं साफ-सफाई व्यवस्था हेतु संलग्न सूची अनुसार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।	5,30,000/-	10,600/-	2,000/-	30/03/2026
निविदा से संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है या ऑनलाइन वेबसाइट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर देखी जा सकती है:-						
प्रभारी अधिकारी स्टोर विभाग नगर पालिक निगम, रतलाम						

**CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED**  
**कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**  
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिंसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बाघट मार्ग, लोअर पोल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस प्लान - 9 बी, द्वितीय तल, पुला रोड, नई दिल्ली - 110060

**मांग नोटिस**  
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत, अंधोराखारी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता (ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)।") को उन्हीं जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित शर्तियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित शर्तियों, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/वा यस्वीली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत वे, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरी रखाई गई हैं।

सं. क्र.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या: LNMEIND000077379 (पुराना) 80400005641813 (नया) LNMEIND000110638 (पुराना) 80300005748389 (नया) (इंदौर शाखा 1) श्री चंद्र सिंह ठाकुर (ऋणकर्ता) श्रीमती कविता ठाकुर (सह-ऋणकर्ता)	06.03.2026 रु. 64,10,640/- (04.03.2026 तक)	पटवारी हक्का क्रमांक 07 पर स्थित वह भूखंड, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, क्षेत्रफल 3920 वर्ग फुट है, जो राम मोदर के पास, ग्राम पंचायत नरिंड, ग्राम थावले, शिवनंद नगर, विकास खंड और तहसील माहु, आर.एन.एस 1, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453661 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री भावना सिंह और श्री प्रकाश का घर, पश्चिम में श्री प्रवीणजी सिंह और श्री हजारी का घर, उत्तर में सामान्य सड़क, दक्षिण में माली और श्री नानुराम का घर।
2.	(ऋण खाता संख्या LNMEIND00061017 (पुराना) और 80400005654685 (नया) LNMEIND00043059 (पुराना) 80400005687941 (नया) (इंदौर शाखा) श्री दीपक पटेल (ऋणकर्ता) श्रीमती पूजा राठौर उर्फ श्रीमती पूजा पटेल (सह-ऋणकर्ता)	06.03.2026 रु. 21,07,583/- (04.03.2026 तक)	ग्राम प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर तहसील की पंचायत सववावा में स्थित मकान संख्या 82, जिसका क्षेत्रफल 5300 वर्ग फुट है और पटवारी हक्का क्रमांक 39 है, में स्थित वह आवासीय संपत्ति, जिसमें जमीन और इमारत दोनों शामिल हैं, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री जीवन्त सिंह/जीवन्त राठौर का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सड़क और श्री लक्ष्मीनारायण का मकान, दक्षिण में स्वयं की कृषि भूमि।
3.	(ऋण खाता संख्या: LNMEIND000104040 (पुराना) और 80300005747261 (नया) LNMEIND00069772 (पुराना) 80400005641062 (नया) (इंदौर शाखा) श्री तेजमल, पुत्र मदन उर्फ श्री तेजमल वर्मा ऋणकर्ता। श्रीमती हेमा, पत्नी श्री तेजमल उर्फ श्रीमती हेमा वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	06.03.2026 रु. 22,97,045/- (04.03.2026 तक)	वह संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, आवासीय प्लॉट/मकान संख्या 494, भूमि क्षेत्र 1080 वर्ग फुट (अर्थात् 100.37 वर्ग मीटर), संवैधानिक संख्या 179, पीपल संख्या 70/168, बाई संख्या 11, ग्राम बामनडी, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश 454001, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: खुला स्थान, दक्षिण: सूर्यमन का मकान, पूर्व: सार्वजनिक सड़क, पश्चिम: गली और अन्य का मकान
4.	(ऋण खाता संख्या) 80300009984334 (रतलाम शाखा) श्री रंजेश प्रजापति (उधारकर्ता) श्रीमती लीला, श्री ओम प्रकाश, श्री जानकीलाल प्रजापति, श्रीमती राम कन्या बाई, श्रीमती मधुबाला प्रजापति (सह-उधारकर्ता)	06.03.2026 रु. 25,97,451/- (04.03.2026 तक)	संपत्ति संख्या 1: वह पूरी संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जो मकान संख्या 116, मकान संख्या 02, भूमि क्षेत्र 900 वर्ग फुट (अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर) है, जो ग्राम रानीवा, तहसील पिपलवा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457333 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: सावित्री बाई का मकान, दक्षिण: सामान्य सड़क, पूर्व: मुकेश शर्मा का मकान, पश्चिम: जानकीलाल जी प्रजापति का मकान। संपत्ति संख्या 2: वह पूरी संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जो मकान संख्या 116/01, मकान संख्या 02, भूमि क्षेत्र 1088 वर्ग फुट है। (अर्थात् 101.08 वर्ग मीटर), ग्राम रानीवा, तहसील पिपलवा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457333 में स्थित, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: चंद्रशेखर जी का घर, दक्षिण: साक्षा सड़क, पूर्व: रामकन्या बाई का घर, पश्चिम: साक्षा सड़क

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्णक भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्ण लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/वा दंड का सामना करना पड़ेगा।

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)  
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयाँ 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

**कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन**  
छत्रपति शिवाजी भवन, कोयला फाटक, उज्जैन Ph: 0734-2535229  
Website: <http://nagamgamujain.org/E-mail:nn.ujain@mpurban.gov.in>  
क्रमांक:- उ. वि. / 272 (online) निविदा विज्ञप्ति उज्जैन दिनांक:- 12/3/2026

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत टेकेंदरों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। सिरियल क्र. सिरियल क्र. 01 आनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 27.03.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम 27.03.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. सिरियल क्र. 02 व 03 आनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 13.04.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम 13.04.2026 समय 17:30 रहेगी। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

क्रं.	निविदा विज्ञप्ति क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.	अनैस्टिमनी रु.	टेंडर फार्म का	समया अवधि
1	2	3	4	5	6	7	7
1	E-Tendering No. 2025_UAD_457550_2	नगर निगम सीमा में रेड स्टोन पत्थर से निर्मित रोटर एवं ड्रिवाइवर का संधारण कार्य।	16,92,990/-	UADD SOR	12,700/-	2000/-	365 दिन
2	E-Tendering No. 2026_UAD_489957_1	झोन क्र 01 अंतर्गत पौधारोपण मय वार्षिक संधारण कार्य बाबत।	34,40,500/-	UADD SOR & NON SOR	25,810/-	5000/-	180 दिन
3	E-Tendering No. 2026_UAD_490090_1	झोन क्र 02 में विभिन्न स्थानों एवं बगीचों में पौधे लगाने बाबत।	2470925/-	UADD SOR & NON SOR	18540/-	5000/-	180 दिन

कार्यपालन यंत्री (उद्यान) नगर पालिक निगम उज्जैन

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India**  
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लॉट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्क्रीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर  
**ई-नीलामी की सूचना**

**अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**  
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 27.03.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित हैं।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) बिल वृद्धि राशि (₹)
1.	मेसर्स रोलोव इम्पेक्स (पार्टनरशिप फर्म) 1. श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी (पार्टनर), 2. श्री रोहित चेतवानी पिता श्री हरिनारायण पटेल (पार्टनर), श्री जमानतदार: 1. श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी, 2. श्री रोहित पटेल पिता श्री हरिनारायण पटेल, 3. श्रीमती श्यामली पटेल पति श्री हंसराज पटेल, 4. श्रीमती भावना धाकड़ पति श्री रोहित धाकड़, 5. श्री राजीव रतन चेतवानी पिता श्री भगवानदास चेतवानी, शाखा: पलासीया, इन्दौर, मोबाईल: 83700 12052	प्लेट नं. 6, तल मंजिल, कृष्णा अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 10/1, उषागंज, गली नं. 1, इन्दौर (म.प्र.), क्षेत्रफल: 849 वर्गफीट सुपर विटअप क्षेत्रफल, मालिक: श्री राजीव चेतवानी पिता श्री भगवानदास चेतवानी एवं श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी, वर्तु:सीमा: उत्तर: बिल्डिंग कोरीडोर, दक्षिण: मकान नं. 11 (श्री नंद किशोर बटवाल जी), पूर्व: प्लेट नं. 07, पश्चिम: प्लेट नं. 05	27.03.2024	22,30,000 2,23,000 + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिक्वरी

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 27.03.2026 समय: प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 27.03.2026 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय: 27.03.2026, सायं 5.30 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं.: 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765 बिजली की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी क्रेडिट की वेबसाइट [www.centralbank.co.in](http://www.centralbank.co.in) और सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://banknet.com> देखें। क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419 से संपर्क कर सकते हैं। नोट: पानी के सर्विस शुल्क, पानी का शुल्क, बिजली शुल्क, सोसायटी शुल्क और अन्य सभी देय राशियों का भुगतान उधारकर्ता (Borrower) द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटीजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा। स्थान: इन्दौर, दिनांक: 14.03.2026 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया